संख्या-17/2023/I/275839/2023-71-2001/246/2019

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
के0जी0एम0यू0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2023

विषय- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में आचार्य के पदों को डाउनग्रेड किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12183/54/योजना अनु0/2022, दिनांक 07.02.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें के0जी0एम0यू0 के क्रिटिकल केयर मैनेजमेन्ट हेतु शासनादेश दिनांक 31.03.2017 के द्वारा अन्य पदों के साथ शैक्षणिक संवर्ग के सृजित 15 पदों के अंतर्गत आचार्य के 01 पद एवं सह आचार्य के 02 पदों को डाउनग्रेड करते हुए उसका नाम परिवर्तन क्रमशः सहायक आचार्य (माईक्रोबायोलॉजी)-01 एवं सहायक आचार्य (रिसर्च) (नान मेडिकल)-02 के रूप में परिवर्तित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश दिनांक 31.03.2017 के द्वारा अन्य पदों के साथ शैक्षणिक संवर्ग के सृजित 15 पदों के अंतर्गत आचार्य के 01 पद एवं सह आचार्य के 02 पदों को डाउनग्रेड करते हुए उसका नाम परिवर्तन क्रमशः सहायक आचार्य (माईक्रोबायोलॉजी)-01 एवं सहायक आचार्य (रिसर्च) (नान मेडिकल)-02 के रूप परिवर्तित किये जाने पर निम्नांकित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. जिन पदों को डाउनग्रेड किया जा रहा है, कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ उसे पुनः सृजित करने या पुनर्स्थापित करने की मांग नहीं की जाएगी।
2. डाउनग्रेड किए जाने के फलस्वरूप के0जी0एम0यू0 के क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट विभाग में 01 आचार्य के तथा 02 सह-आचार्य के पद समाप्त माने जाएंगे एवं उक्त सीमा तक के0जी0एम0यू0 के क्रिटिकल केयर मैनेजमेन्ट विभाग के लिए सृजित जनशक्ति कम हो जाएगी तथा कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भविष्य में उनके पुनर्जीवन की मांग नहीं की जाएगी।
3. कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्ताव निर्धारित मानकों यथा-एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 तथा कार्यात्मक/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वास्तविक आवश्यकता तथा पदों के सृजन के मानकीकरण के शासनादेश दिनांक-16 /09/2021 व शासनादेश दिनांक 05/09/2022, जो भी लागू हो, के अनुरूप हो।

4. पदनाम/वेतनमान के सम्बन्ध में कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

3- उक्त पदों पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश अशासकीय संख्या-ई-3-499/दस-2022-23 दिनांक 09-02-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-17/2023/1/275839/2023-71-2001/246/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।